भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2173

उत्तर देने की तारीख 15 मार्च, 2022

24 फाल्गुन, 1943 (शक)

आदिवासी समुदायों के पारंपरिक खेल

2173. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आदिवासी समुदायों के पारंपरिक खेलों के निरंतर विकास और युवाओं को सर्वोत्तम सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा स्कूली बच्चों की प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें उचित अवसर और प्रशिक्षण देने हेतु, जिससे कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में संपार्श्विक भागीदारी करने में सहायता मिल सके, बनाई गई भावी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अनुभवी एथलीटों, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, के संभाव्य अनुभव का उपयोग करने के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण आदिवासी समुदायों के पारंपरिक खेलों के विकास और युवाओं को सर्वोत्तम सुविधाएं और सहायता प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है । केंद्र सरकार उनके प्रयासों की पूर्ति करती है । खेलो इंडिया स्कीम का "ग्रामीण और देशज/ जनजातीय खेलों का संवर्धन", नामक घटक विशेष रूप से देश में पारंपरिक खेलों के विकास के लिए है । खेलो इंडिया स्कीम के तहत इस मंत्रालय द्वारा मलखंब, कलारीपयट्टू, गतका, थांग-टा, योगासन और सिलंबम देशज खेल विधाओं को बढ़ावा देने के लिए अभिज्ञात किया गया है ।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के 90 विस्तार केंद्र हैं, जिनमें से अधिकांश देश भर के स्कूलों में कार्यशील हैं । साई खेल संवर्धन स्कीमों के तहत लगभग सभी एथलीट स्कूल/कॉलेज जाने वाले छात्र हैं जिन्हें स्कूल/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । उन्हें साई द्वारा संबंधित स्कीम के मानदंडों के अनुसार उनके शैक्षिक खर्च के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है । इस मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत 09 स्कूलों और 28 सेना बाल खेल कंपनियों को राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र के रूप में अपनाया है और 10 स्कूलों को भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम के तहत शामिल किया गया है । इसके अलावा, इस मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत देश में युवा प्रतिभाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई पहलें की हैं, जैसे खेलो इंडिया स्कूल/ यूथ गेम्स, खेलो इंडिया अंडर-17 गर्ल्स फुटबॉल लीग का आयोजन, युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों की खेलो इंडिया एथलीट के रूप में पहचान और प्रशिक्षण, स्कूली बच्चों की फिटनेस का मूल्यांकन आदि ।

(ग) अनुभवी एथलीटों के संभावित अनुभव का उपयोग करने के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों को कोच के रूप में भर्ती करता है। प्रविष्टि कैडर में ओलंपियनों के लिए 5 प्रतिशत और पैरालिंपियनों के लिए 1 प्रतिशत पद आरक्षित हैं । 3 प्रतिशत पद पदक विजेता ओलंपियनों या 02 ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं और 2 प्रतिशत पद कोच (लेवल-10) के ग्रेड में पदक विजेता पैरालिंपियनों के लिए हैं । साई में संविदा और प्रतिनियुक्ति आधार पर कोच के रूप में पूर्व खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों में हाल ही में संशोधन किया गया है । तदनुसार, 416 पूर्व खिलाड़ियों को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है । इसके अलावा, जमीनी स्तर पर देश में खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार के विजन के तहत एक किफायती, प्रभावी खेल प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया गया है, जिसमें पूर्व "चैंपियन एथलीटों" को खेलो इंडिया केंद्रों में प्रशिक्षुओं के लिए कोच और मेंटर के रूप में नियुक्ति का प्रावधान है जिससे उनके लिए आय का एक नियमित स्रोत भी सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

****